

**न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबडा,
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर जिला बालाघाट म.प्र.**

व्य.वाद क 102ए/2015
संस्थित दिनांक 13.10.2015
फा.नंबर-300102015

1. जानकीबाई आयु 45 साल पिता श्री झाडूसिंह निवासी कोपरो,
 2. जनियाबाई आयु 43 साल पिता श्री झाडूसिंह निवासी जगनटोला,
 3. रामबतीबाई आयु 40 साल पिता श्री झाडूसिंह निवासी केवलारी,
 4. चैनबतीबाई आयु 37 साल पिता श्री झाडूसिंह निवासी भादा,
- सभी जाति गोंड क्रमांक 01 एवं 03 तहसील बैहर एवं क्रमांक 02
एवं 04 तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट(म.प्र)।वादी

:: विरुद्ध ::

1. जेठियाबाई आयु 47 साल पति समलसिंह, जाति गोंड,
निवासी किनारदा हाल मुकाम द्वारा विजन्तीबाई निवासी कोपरो,
तहसील बैहर जिला बालाघाट।
2. विजन्तीबाई आयु 24 साल पति दरूबूसिंह जाति गोंड,
निवासी कोपरो तहसील बैहर जिला बालाघाट।
3. मध्यप्रदेश राज्य द्वारा-श्रीमान कलेक्टर महोदय बालाघाट।

.....प्रतिवादीगण

:: निर्णय ::

(दिनांक 18.01.2018 को घोषित)

01- यह वाद मौजा भैसवाही प.ह.न.18 रा.नि.म. बैहर तहसील बैहर जिला बालाघाट में स्थित वादग्रस्त संपत्ति ख.नं.33/5 रकबा 0.33/0.134 तथा खसरा नंबर 37 रकबा 8.11/3.282 हेक्टेयर के विषय में घोषणार्थ एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया गया है।

02- वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण आपस में सगी बहने हैं तथा उनका एक मात्र भाई जानू पिता झाडूसिंह की निःसंतान मृत्यु हो चुकी है। झाडूसिंह की मृत्यु उपरांत वादीगण ही उसके वारसान हैं। झाडूसिंह के

जीवनकाल से ही वादीगण अपने पिता के साथ संयुक्त मालिक एवं कब्जेदार है। वादी क्रमांक 02 से 04 अधिकांशतः ससुराल में ही निवास करते हैं और वादी क्रमांक 01 जो भैसवाही में निवास करती है और संपूर्ण भूमि की काश्त वादी क्रमांक 01 ही करती है। वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है।

03— झाड़ूसिंह की दिनांक 16.06.2012 को मृत्यु होने के पश्चात से वादीगण वादग्रस्त भूमि के शांतिपूर्वक कब्जे में चले आ रहे हैं। वादीगण ने अपनी पैतृक संपत्ति पर नामांतरण हेतु पटवारी/तहसीलदार को आवेदन किया था। इसके पश्चात प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 01 को जानूसिंह की पत्नि बताकर षडयंत्रपूर्वक नामांतरण के लिए आपत्ति पेश कर वारसान होने का झूठा आवेदन पेश किया गया है। प्रतिवादी क्रमांक 01 प्रतिवादी क्रमांक 02 की पुत्री है। प्रतिवादी क्रमांक 01 का सीतापुर का मायका है। प्रतिवादी क्रमांक 01 का विवाह किनारदा के जलसा के पुत्र समलसिंह के साथ हुआ था। समलसिंह से जेटियाबाई का कोई तलाक नहीं हुआ और जेटियाबाई प्रतिवादी क्रमांक 01 भाग कर अपने मायके चली गई और उसने मौजा गोवारी के दीपाली गोंड के घर रहना शुरू कर दिया और वहाँ दीपाली की पत्नि है कहकर अपना जीवन-यापन करने लगी। दीपाली और प्रतिवादी क्रमांक 01 के संसर्ग से सुमरतीबाई, जैवन्तीबाई, विजन्तीबाई, रौनीबाई, पच्चू उर्फ पंचम एवं सवनुबाई 06 संतान उत्पन्न हुये, जो वर्तमान में जीवित हैं। दीपाली एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 की पुत्री विजन्तीबाई पति दरबू मौजा भैसवाही में निवासरत है। प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 ने जानूसिंह के नाम के दस्तावेज निष्पादित करवा लिये हैं। दीपाली के जीवनकाल में ही प्रतिवादी क्रमांक 01 प्रतिवादी क्रमांक 02 के साथ निवास करती थी।

04— दीपाली से प्रतिवादी क्रमांक 01 का कोई तलाक नहीं हुआ है तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 का जानूसिंह के साथ कोई विवाह या पाठ विवाह भी नहीं हुआ है और ना ही इसके अतिरिक्त प्रतिवादी क्रमांक 01 का अपने पति

समलसिंह एवं दीपाली से कोई तलाक या दावा-बूंदी हुआ है। प्रतिवादी क्रमांक 01 को ना ही दूसरी शादी करने का हक है और ना ही दूसरी की थी। प्रतिवादी क्रमांक 01 का जानूसिंह के साथ कोई संबंध नहीं रहा। मात्र जानूसिंह के ला-औलाद होने का अनुचित लाभ उठाकर प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा अवैधानिक रूप से दस्तावेज निष्पादित कर पत्नि होना बताया गया है, जो अवैधानिक होकर प्रतिवादी क्रमांक 01 को जानूसिंह की पत्नि होने का कोई हक प्राप्त नहीं है। उभयपक्ष गोंड जाति के हैं और गोंड जाति में जाति रिवाज अनुसार ही बिना विवाह विच्छेद(दावा बूंदी) के दूसरा विवाह करने की कोई पात्रता नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक 01 को वादीगण की संपत्ति पर कोई हक व अधिकार नहीं है। वादीगण प्रतिवादी क्रमांक 01 के विरुद्ध जेठियाबाई का जानूसिंह से कोई संबंध न होने, उसके दावा बूंदी के बिना तथा जानूसिंह से कोई विवाह एवं पाठ शादी न होने की घोषणा की आज्ञाप्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

05— वादपत्र की कंडिका क्रमांक 04 में वर्णित भूमि वादीगण के हक मालिकी एवं कब्जे की भूमि है और उस पर प्रतिवादीगण को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। अतः वादीगण के हक मालिकी एवं कब्जे की भूमि मौजा कोपरा(भैसवाही) प.ह.न.18 रा.नि.म. बैहर तहसील बैहर जिला बालाघाट में ख.नं. 33/5 रकबा 0.33/0.134 तथा खसरा नंबर 37 रकबा 8.11/3.282 हेक्टेयर पर प्रतिवादीगण को स्वयं या उसके प्रतिनिधि के माध्यम से दखल देने से स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा निषेधित किया जावे।

06— पक्षकारों की पहचान तथा वादग्रस्त भूमि के स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त, वादीगण के अभिवचनों का प्रत्याख्यान कर अपने जवाबदावे में प्रतिवादीगण ने यह व्यक्त किया है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 मौजा भैसवाही के निवासी हैं तथा वादग्रस्त भूमि मौजा भैसवाही प.ह.नं.18 में स्थित है, जिसे वाद पत्र में ग्राम कोपरो निवासी होना बताया जाकर मौजा कोपरो में

भूमि स्थित होना बताया गया है। मृतक झाड़ूसिंह की जानकीबाई उर्फ जानो पुत्री, जानुसिंह पुत्र, जनिया पुत्री, चैनबतीबाई पुत्री, सोमबीबाई प्रथम पत्नि तथा जेठियाबाई द्वितीय पत्नि प्रतिवादी क्रमांक 01 है, जिसमें से जानुसिंह एवं सोमबीबाई फौत हो चुके हैं।

07— प्रतिवादी क्रमांक 01 मौजा भैसवाही प.ह.नं.18, रा.नि.मं. बैहर तहसील बैहर जिला बालाघाट की निवासी होकर कृषक है तथा मृतक जानुसिंह पिता झाड़ूसिंह की पत्नि है। मृतक झाड़ू पिता बारेलाल के नाम से मौजा भैसवाही प.ह.नं.18, रा.नि.मं. बैहर में भूमि स्थित है, जिसके राजस्व अभिलेख में वादीगण के द्वारा अपना नाम दर्ज किये जाने के वास्तविक तथ्य को छुपाकर तहसीलदार बैहर के न्यायालय में स्वयं आवेदक व अनावेदक पक्ष बनकर आवेदन पत्र प्रस्तुत किये थे, जिसमें दावा आपत्ति प्रस्तुत किये जाने के संबंध में इशतेहार का प्रकाशन किया गया, तब जानकारी होने पर प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करते हुए मृतक जानुसिंह को झाड़ूसिंह का पुत्र तथा स्वयं को उनकी पत्नि बताते हुए मय दस्तावेज के साथ आपत्ति वाद पत्र प्रस्तुत किया गया, जो सुनवाई में लिया गया तथा वर्तमान में विचाराधीन है। वादीगण द्वारा छलपूर्वक मृतक जानुसिंह की पत्नि प्रतिवादी क्रमांक 01 जेठियाबाई को उनकी वारसान न बताते हुए वादपत्र प्रस्तुत किया गया था।

08— उक्त प्रस्तुत वाद तथा आवेदन पत्र में तहसीलदार को और ना ही संबंधित हल्का पटवारी को पक्षकार बनाया गया है और उनके विरुद्ध अस्थाई व्यादेश चाहा गया है। प्रतिवादी क्रमांक 01 का नाम जमीन के राजस्व अभिलेख में दर्ज न होने दिया जाए तथा भूमि का हिस्सा न देना पड़े इसलिये प्रतिवादी क्रमांक 01 को मृतक जानुसिंह की पत्नि के रूप में नहीं दर्शाया जाकर वादपत्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि प्रतिवादी क्रमांक 01 मृतक जानुसिंह की पत्नि होकर उसकी एक मात्र जीवित वारसान है। शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों से प्रतिवादी क्रमांक 01 मृतक जानुसिंह की पत्नि होना

दर्शित है। प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा जानुसिंह की पत्नि होते हुए सास हिरोबाई एवं ससुर झाडूसिंह की मृत्यु बाद अंतिम क्रियाकर्म प्रतिवादी क्रमांक 01 के द्वारा संपन्न कराया गया है, जिसकी जानकारी वादीगण एवं समस्त ग्रामवासियों तथा रिश्तेदारों को है।

09— प्रतिवादी क्रमांक 01 का मायका ग्राम सीतापुर का है व प्रतिवादी क्रमांक 01 को मृतक जानुसिंह द्वारा उसकी पूर्व पत्नि सोमबीबाई के फौत होने के पश्चात जाति समाज के लोगों के मध्य पाठ शादी कर पत्नि बनाया गया है, जो जीवन-पर्यन्त साथ में बतौर पति-पत्नि निवास करते रहे। वर्तमान में भी प्रतिवादी क्रमांक 01 जेठियाबाई को जानुसिंह की विधवा पत्नि के रूप में जाना एवं पहचाना जाता है, जिससे मौजा भैसवाही में निवास करते हुए पति, सास एवं ससुर की सेवा की और वर्तमान में भी ग्राम भैसवाही में रहते हुए मृतक झाडूसिंह एवं उसके पुत्र जानुसिंह के ही घर में निवासरत होकर उसकी चल एवं अचल संपत्ति का उपयोग उपभोग कर काश्त एवं कब्जे में है। तहसीलदार बैहर के न्यायालय में लंबित नामांतरण प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 01 का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हो जाए, जिस कार्यवाही को अवरुद्ध करने की नियत से असत्य आधारों पर यह झूठा दावा प्रस्तुत किया गया है। वादीगण को तहसीलदार के न्यायालय में लंबित नामांतरण प्रकरण की कार्यवाही को रोके जाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है और ना ही कार्यवाही को रोके जाने के संबंध में तहसीलदार बैहर या संबंधित हल्का पटवारी को कोई पक्षकार बनाया गया है। तहसीलदार बैहर के न्यायालय में वादीगण द्वारा प्रस्तुत नामांतरण प्रकरण में आवेदक व अनावेदक पक्ष बनकर संबंधित हल्का पटवारी से स्थल जांच प्रतिवेदन में प्रतिवादी क्रमांक 01 को वारसान न बताया जाकर प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसे आधार मानकर उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

10— न्यायालय द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्नों की विरचना की गई है जिनके सम्मुख मेरे निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:-

क्रमांक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या वादीगण का वादग्रस्त संपत्ति खसरा नंबर 33/5 रकबा 0.33/0.134 तथा खसरा नंबर 37 रकबा 8.11/3.282 हेक्टेयर स्थित मौजा भैसवाही प.ह.न.18 रा.नि.म. बैहर तहसील बैहर जिला बालाघाट पर आधिपत्य है ?	प्रमाणित नहीं
2.	क्या वादग्रस्त संपत्ति केवल वादीगण के स्वामित्व की है ?	प्रमाणित
3.	क्या प्रतिवादीगण वादीगण के आधिपत्य में अवैध रूप से हस्तक्षेप करने के लिए प्रयासरत है ?	प्रमाणित नहीं
4.	क्या वाद में पक्षकारों के असंयोजन का दोष है ?	प्रमाणित नहीं
5.	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की कंडिका क्रमांक- के अनुसार वाद आंशिक रूप से डिक्री

विवाद्यक प्रश्न क्रमांक-02 का निष्कर्ष

11— वादी जानकीबाई वा.सा.01 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में कथन किया है कि वह, जनियाबाई, रामबतीबाई तथा चैनबतीबाई ग्राम भैसवाही के झाडूसिंह की पुत्रियाँ हैं, जिसका एक मात्र पुत्र जानू था और पत्नि सोमबीबाई थी, जो ला-औलाद फौत हो चुकी है। वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 33/5 रकबा 0.33 एवं खसरा नंबर 37 रकबा 8.11 कुल 8.44 है, जो उन चारों बहनों के कब्जे एवं हक में है। प्रतिवादी जेठियाबाई ने उनके भाई एवं भाभी के ला-औलाद फौत होने का फायदा उठाकर उनकी संपत्ति पर अपना हक जताने के लिए झूठा नामांतरण पत्र तहसील न्यायालय में पेश किया है तथा गांव के मोहपत पटेल के साथ मिलकर जानू की पत्नि होने के झूठे दस्तावेज तैयार किये हैं। प्रतिवादी जेठियाबाई का जानूसिंह के साथ कोई विवाह नहीं हुआ है, अपितु वह अपने पति दीपाली एवं पुत्री विजन्तीबाई के

साथ भैसवाही में निवास करती है, जिसका झाड़ूसिंह या जानूसिंह या उनकी किसी संपत्ति से कोई संबंध नहीं है। जेठियाबाई का मायके सीतापुर का है, जिसकी शादी किनारदा के जलसा के पुत्र समलसिंह के साथ हुई थी। समलसिंह से जेठियाबाई का कोई तलाक नहीं हुआ और वह अपने मायके सीतापुर चली गई, जिसके बाद उसने गोवारी के दीपाली के घर पत्नि बनकर रहना शुरू किया, जिससे उसे 06 संतान सुमरतीबाई, जैवन्तीबाई, विजन्तीबाई, रौनीबाई, पच्चू उर्फ पंचम एवं सवनुबाई उत्पन्न हुये, जो आज भी जीवित है।

12— वादी जानकीबाई वा.सा.01 के अनुसार जेठियाबाई की पुत्री विजन्तीबाई का विवाह भैसवाही के दरबू के साथ हुआ था और वह दीपाली के जीतेजी अपनी पुत्री विजन्तीबाई के साथ रहने लगा, परंतु उसका कोई तलाक नहीं हुआ था। जेठियाबाई ने मोहपत पटेल के साथ मिलकर जानूसिंह के पत्नि होने के झूठे दस्तावेज तैयार किये हैं, क्योंकि उसका जानूसिंह के साथ कोई शादी अथवा पाठ शादी नहीं हुआ है। वह लोग गोंड जाति के सदस्य हैं और उनके जाति रिवाज के अनुसार दीपाली से तलाक नहीं होने के कारण जेठियाबाई को पाठ शादी करने का कोई हक नहीं था। उसका पहले पति समलसिंह से भी कोई तलाक इत्यादि नहीं हुआ है और वह अभी भी दीपाली की पत्नि है। उसका वादीगण के जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। वादग्रस्त भूमि उनके शांतिपूर्ण कब्जे में है, जिस पर जेठियाबाई के दखल को रोका जाना आवश्यक है, क्योंकि जेठियाबाई मोहपत पटेल के साथ मिलकर उनकी संपत्ति पर दखल देना चाहती है, जिसे नहीं रोकने पर उन्हें भारी नुकसान होगा।

13— वादी जानकीबाई वा.सा.01 ने वाद के समर्थन में वादग्रस्त भूमि की किश्तबंदी खतौनी प्र.पी.01, खसरा प्र.पी.02, नक्शा प्र.पी.03, ग्राम गोवारी के आंगनवाड़ी के दस्तावेज की प्रति प्र.पी.04, तहसील न्यायालय बैहर में प्रस्तुत पटवारी प्रतिवेदन प्र.पी.05, स्थल जांच पंचनामा प्र.पी.06, न्यायालय में जानूसिंह द्वारा दिये गये बयान की प्रतिलिपि प्र.पी.07 प्रस्तुत की है। उक्त कथनों का

समर्थन राजाराम वा.सा.03, आत्माराम वा.सा.04 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में किये है, जबकि लक्ष्मीबाई वा.सा.02 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में कथन किया है कि वह गोवारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर पदस्थ थी तथा उसने वाद के साथ प्रस्तुत आंगनवाड़ी प्रमाण पत्र जारी किया था, जिसमें दीपाली तथा जेठियाबाई की संतानों का लेख किया था। उक्त साक्षी ने भी जेठियाबाई के दीपाली से किसी तलाक या दावा बूंदी नहीं होने के कथन किये हैं। जेठियाबाई के ग्राम भैसवाही में पुत्री विजन्तीबाई के साथ रहने के कथन किये हैं।

14— वादीगण के साक्ष्य का खण्डन कर प्रतिवादी जेठियाबाई प्र.सा.01 ने अपने मुख्य परीक्षण शपथ पत्र में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि मूल पुरुष झाड़ू के नाम पर दर्ज है, जिस पर मृतक झाड़ूसिंह एवं जानूसिंह का मकान तथा हाथा-बाड़ी बना हुआ है, जिस पर वह वर्तमान में निवास कर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। झाड़ूसिंह, उसकी पत्नि हिरोबाई तथा जानूसिंह की मृत्यु क्रमशः वर्ष 2009, 2011 तथा 2012 में हो चुकी है, जिनका अंतिम संस्कार जाति रिवाज अनुसार उसके द्वारा गांव भैसवाही में किया गया है। मृतक जानूसिंह द्वारा करीब 20-25 वर्ष पूर्व उसे उसके मायके ग्राम सीतापुर से पाठ शादी लगाकर लाने के बाद जाति रीति रिवाज अनुसार ग्राम भैसवाही में सामाजिक भोज कराया गया था और तब से वह बतौर पत्नि मृतक जानूसिंह के घर में निवास करते हुए सुखमय दाम्पत्य जीवन निर्वाह करते चली आ रही है और आज भी वह भैसवाही में निवासरत है।

15— प्रतिवादी जेठियाबाई प्र.सा.01 के अनुसार उसे जानूसिंह की पत्नि एवं झाड़ूसिंह की बहू के रूप में जाना एवं पहचाना जाता है। वह उनकी चल अचल संपत्ति की देख-रेख करते हुए उपयोग करते चली आ रही है तथा समस्त शासकीय एवं गैर-शासकीय दस्तावेजों में उसका नाम जानूसिंह की पत्नि के रूप में दर्ज चला आ रहा है। उसे जानकारी दिये बगैर उसकी नंद

वादीगण द्वारा तहसील कार्यालय बैहर में वादग्रस्त भूमि के राजस्व अभिलेख में अपना नाम दर्ज करवाने आवेदन पेश किये थे, जिस हेतु इश्तेहार प्रकाशन कर दावा आपत्ति नामांतरण करने पर जानकारी होने पर उसने जानूसिंह की भूमि में मृतक जानूसिंह की पत्नि होने के कारण नाम दर्ज करवाने हेतु आपत्ति प्रस्तुत की, जिसकी सुनवाई विचाराधीन है। वह मृतक जानूसिंह की एक मात्र जीवित वारसान होकर वैध उत्तराधिकारी है और जानूसिंह की भूमि के हिस्से पर उसे अधिकार प्राप्त है, क्योंकि पूर्व पत्नि सोमबीबाई ला-औलाद फौत हो चुकी है, जिसके पश्चात से वह बतौर पत्नि पाठ विवाह पश्चात लगातार निवासरत है, जिसे उनकी सामाजिक मान्यता प्राप्त है। वादीगण को विवाह पश्चात मृतक झाड़ूसिंह द्वारा उनके ससुराल भेज दिया गया था और वह अपने ससुराल में निवासरत है, जिनका वादग्रस्त भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि गोंड प्रथा अनुसार पुत्रियों को पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। वादग्रस्त भूमि पर 1/5 अंश निहित है, जिसे नष्ट करने की नियत से वादीगण द्वारा झूठा मनगढ़ंत वाद प्रस्तुत किया है। उसने जवाबदावे के समर्थन में निर्वाचन प्रमाण पत्र प्र.डी.01 तथा जानूसिंह का पहचान पत्र प्र.डी.02, आधार कार्ड प्र.डी.03, जॉब कार्ड प्र.डी.04 प्रस्तुत किया है। उक्त कथनों का समर्थन छत्तरसिंह प्र.सा.02 तथा मोहपत पटेल प्र.सा.03 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में किये हैं।

16— उभयपक्ष के मध्य में उक्त संबंध में कोई विवाद नहीं है कि वादग्रस्त भूमि झाड़ूसिंह की थी जो कि प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है। मुख्य विवाद प्रतिवादी जेठियाबाई के वादग्रस्त भूमि पर अधिकार को लेकर है। वादी साक्षियों द्वारा अपनी अखण्डनीय साक्ष्य में उक्त तथ्य को प्रकट किया गया है कि प्रतिवादी जेठियाबाई का प्रथम विवाह समलसिंह तथा पश्चात विवाह दीपाली से हुआ था, जिससे उसे 06 संतानें हुई। उक्त तथ्य को प्रतिवादी जेठियाबाई प्र.सा.01 द्वारा भी अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकृत किया गया है। अब एक मात्र विवाद प्रतिवादी जेठियाबाई के जानूसिंह से विवाह को लेकर है

कि क्या उक्त विवाह हुआ था और यदि हुआ था तो क्या उक्त विवाह वैध था। सभी वादी साक्षियों ने उक्त संबंध में एकमत होकर कथन किये हैं कि चूँकि जेठियाबाई का दीपाली से कोई तलाक अथवा छोड़-छुट्टी नहीं हुई थी, इसलिये उसके पश्चात विवाह का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। यद्यपि जानकीबाई वा.सा.01 द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकृत किया गया है कि उनके समाज में एक से अधिक पत्नि रखने का रिवाज है और पाठ शादी कराये जाने पर उनके समाज में सामूहिक भोज कराया जाता है।

17— वादी साक्षीगण के अनुसार जेठियाबाई दीपाली के मरने के पूर्व ही भैसवाही चली गई थी। जेठियाबाई प्र.सा.01 के अनुसार उसे 20-25 वर्ष पूर्व जानूसिंह द्वारा सीतापुर से पाठ शादी करने के पश्चात ग्राम भैसवाही में जाति रीति रिवाज के अनुसार सामूहिक भोज करवाया गया था। प्रतिवादी साक्षीगण द्वारा अपनी अखण्डनीय साक्ष्य में उक्त तथ्य का समर्थन किया गया है, परंतु छत्तरसिंह प्र.सा.02 द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकृत किया गया है कि जेठियाबाई की पूर्व में कोई छोड़-छुट्टी अथवा दावा-बूंदी नहीं हुई थी, इसलिये उसका पाठ विवाह गलत था, क्योंकि उनके समाज में पति के मरने अथवा उससे विवाह-विच्छेद के पश्चात ही महिला द्वारा द्वितीय विवाह किया जा सकता है। मोहपत पटेल प्र.सा.03 द्वारा भी प्रतिपरीक्षण में स्वीकृत किया गया है कि उनके समाज में छोड़-छुट्टी का रिवाज था और जेठियाबाई का दीपाली से कोई दावा-बूंदी नहीं हुई थी। सभी वादी साक्षियों ने भी उक्त संबंध में अखण्डनीय कथन किये हैं, जिसे प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी गई है।

18— अब सबूत का भार स्वयं प्रतिवादी जेठियाबाई पर था कि वह सिद्ध करे कि उसके द्वारा दीपाली के मरने के पश्चात जानूसिंह से पाठ विवाह किया गया था, परंतु वह उक्त संबंध में पूर्णतः असफल रही है और स्वयं उसके द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकृत किया गया है कि दीपाली की मृत्यु

दिनांक 14.10.06 को हुई थी और उसके मरने के पूर्व ही उसके नाम से जानूसिंह की पत्नि उल्लिखित वोटर आई.डी. बन गया था। संपूर्ण प्रतिवादी साक्ष्य का मुख्य आधार उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज वोटर आई.डी., आधार तथा जॉब कार्ड है, जबकि मात्र उक्त आधार पर प्रतिवादी जेटियाबाई के जानूसिंह की पत्नि होने की उपधारणा नहीं की जा सकती। प्रतिवादी को प्रथमतः जानूसिंह से विवाह तथा पश्चात में विवाह की वैधता सिद्ध करनी थी, क्योंकि वादीगण द्वारा साक्ष्य के माध्यम से यह सिद्ध किया गया है कि उसका दीपाली के साथ कोई विवाह-विच्छेद नहीं हुआ था। ऐसी स्थिति में मात्र पहचान पत्रों के आधार पर प्रतिवादी जेटियाबाई को जानूसिंह की पत्नि होने के संबंध में कोई उपधारणा नहीं की जा सकती।

19— प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचन किये गये हैं कि उनके समाज में पुत्रियों को पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता, परंतु प्रतिवादी साक्षियों द्वारा उक्त संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत न कर मात्र मौखिक औपचारिक कथन किये गये हैं। यद्यपि साक्ष्य से यह दर्शित है कि उभयपक्ष गोंड जनजाति के हैं तथा उक्त संबंध में यह स्थिति स्पष्ट है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा-2(2) के अनुसार उक्त अधिनियम जनजातियों पर लागू नहीं होता, परंतु न्यायदृष्टांत रामूसिंह व अन्य वि० श्रीमति बांंदीबाई व अन्य म०प्र० उच्च न्यायालय द्वितीय अपील क.583/94 दिनांक 13.09.11 के अनुसार यह स्थापित सिद्धांत है कि प्रथा सिद्ध करने में असफल रहने पर यह उपधारणा की जा सकेगी कि उक्त अधिनियम जनजातियों पर लागू होता है। वर्तमान प्रकरण में प्रतिवादीगण यह दर्शित करने में असफल रहे हैं कि पुत्रियों को पैतृक संपत्ति पर अधिकार प्राप्त नहीं होता, अपितु स्वयं प्रतिवादी साक्षी मोहपत प्र.सा.03 ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उनकी जाति में लड़कियों को हिस्सा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में झाडूसिंह के एकमात्र वारसान होने के कारण यह निष्कर्ष दिया जाता है कि वादीगण ही

वादग्रस्त संपत्ति के एकमात्र अधिकारी है। फलतः विवाद्यक प्रश्न क्रमांक 02 का निष्कर्ष प्रमाणित के रूप में दिया जाता है।

विवाद्यक प्रश्न क्रमांक-01 एवं 03 का निष्कर्ष:-

20- वादीगण के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर उनके द्वारा काश्त किया जा रहा है, जबकि प्रतिवादी जेठियाबाई के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर उसका आधिपत्य है। उभयपक्ष द्वारा आधिपत्य के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है और दस्तावेजों से भी उभयपक्ष का आधिपत्य दर्शित नहीं है, परंतु सबूत का भार अंततः वादीगण पर है, जिसमें वह असफल रहे हैं। वादी साक्षियों द्वारा आधिपत्य के संबंध में मात्र औपचारिक कथन किये गये हैं और स्वयं वादी जानकीबाई वा.सा.01 द्वारा प्रतिपरीक्षण में स्वीकृत किया गया है कि सभी वादीगण विवाह पश्चात अपने ससुराल में निवासरत हैं, जबकि राजाराम वा.सा.03 द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकृत किया गया है कि जानूसिंह के मकान में ही जेठियाबाई द्वारा निवास किया जाता है। अन्य वादी साक्षीगण लक्ष्मीबाई वा.सा.02 तथा आत्माराम वा.सा.04 द्वारा प्रतिपरीक्षण में वादग्रस्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी न होना व्यक्त किया गया है। ऐसी स्थिति में यह सिद्ध नहीं होता कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के आधिपत्य की है, जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है। फलतः विवाद्यक प्रश्न क्रमांक 01 एवं 03 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं के रूप में दिया जाता है।

विवाद्यक प्रश्न क्रमांक 04 का निष्कर्ष:-

21- प्रतिवादीगण के अनुसार वाद में संबंधित राजस्व अधिकारियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जिससे वाद में पक्षकारों के असंयोजन का दोष है, परंतु उक्त संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है और ना ही वादी साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में ऐसे कोई तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं कि कथित पक्षकार वाद हेतु आवश्यक थे। वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर हक घोषणार्थ तथा स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है, जिस हेतु उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि से संबंधित सभी आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार बनाया गया है, जिनसे उनके द्वारा अनुतोष चाहा गया है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में उक्त संबंध में कोई विपरीत निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता।

फलतः विवाद्यक प्रश्न क्रमांक 04 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं के रूप में दिया जाता है।

विवाद्यक प्रश्न क्रमांक 05 का निष्कर्ष:-

सहायता एवं व्यय:-

22- उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी अपना दावा आंशिक रूप से प्रमाणित करने में सफल रहा है। परिणाम स्वरूप वर्तमान वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर निम्नानुसार आज्ञा पारित की जाती है कि:-

अ. वादग्रस्त संपत्ति खसरा नंबर 33/5 रकबा 0.33/0.134 तथा खसरा नंबर 37 रकबा 8.11/3.282 हेक्टेयर स्थित मौजाभैसवाही प.ह.न. 18 रा.नि.म. बैहर तहसील बैहर जिला बालाघाट एक मात्र वादीगण के स्वामित्व की है।

ब. उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय वहन करेंगे।

स. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा तालिका अनुसार जो कम हो वाद व्यय में जोड़ी जावे।

तदनुसार उक्त आशय की आज्ञा बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर, मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

सही / -
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो, बैहर
जिला बालाघाट म.प्र.

सही / -
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो, बैहर
जिला बालाघाट म.प्र.